Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./4340/2002/बारां

मदनलाल पुत्र लाला, जाति मीणा, निवासी रामनिवास, तहसील अटरू, जिला बारां।

-- अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती दाखा बाई पुत्री लाला बेवा स्व. अमरलाल जाति मीणा, निवासी नृसिंहपुरा की झौंपडी, तहसील अटरू, जिला बारां।
2. श्रीमती गंगाबाई बेवा स्व. लाला जाति मीणा निवासी रामनिवास, तहसील अटरू, जिला बारां।
3. श्रीमती शांतिबाई पुत्री श्री लाला पत्नी जगन्नाथ जाति मीणा, निवासी रामनिवास, तहसील अटरू हाल मुकाम दरडपुरा उर्फ भगवन्तपुरा, तहसील मगरोल, जिला बारां।
4. राजस्थान सरकार।

-- रेस्पोडेन्टस

खण्ड पीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री शंकर लाल शर्मा, सदस्य

उपस्थित :-
(1) श्री जसराज जयपाल, अधिवक्ता अपीलांट।
(2) श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांक : 26 फरवरी, 2018

यह अपील धारा 224, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत सहायक कलक्टर, अटरू द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16-10-2001 एवं भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05-6-2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2- अपील के संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1-वादी ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, अटरू के समक्ष एक वाद बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188, अधिनियम के तहत ग्राम रामनिवास, तहसील अटरू

स्थित आराजी संख्या 6 रकबा 5.62, खसरा नं0 200 रकबा 0.28 है0, खसरा नं0 201 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 209 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 220 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 348 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 350 रकबा 0.13 है0 एवं खसरा नं0 346/450 रकबा 0.03 है0, कुल रकबा 6.57 है0 के संबंध में प्रस्तुत कर भूमि का बंटवारा किये जाने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने बाबत प्रस्तुत किया, जिसमें सहायक कलक्टर, अटरू ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16–10–2001 के द्वारा वाद को डिक्री कर वादी–रेस्पो0 संख्या 1 को उक्त भूमि का 1/4 का हिस्सेदार मानते हुए बंटवारा का आदेश एवं डिक्री पारित की गई तथा अपीलांट एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को वादी के 1/4 हिस्से की काश्त में अवरोध उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी, जिसके विरूद्ध भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष प्रस्तुत अपील में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05–6–2002 के द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 16–10–2001 में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है, इस अंश को विलोपित करने के आदेश पारित किये और शेष निर्णय एवं डिक्री को यथावत रखा, जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गई।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने जमाबंदी में अंकित प्रविष्टियों को आधार मानते हुए उसी मुताबिक अंकित खातेदारान का हिस्सा घोषित किया है, लेकिन जमाबंदी की प्रविष्टियों के आधार पर अवधारणा एक सीमा तक ही निर्धारित की जा सकती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष यह तथ्य भलीभांति सिद्ध हो चुका है कि अपीलांट्स एवं प्रतिवादीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य है, जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते

है। ऐसी स्थिति में केवल पुत्र ही पिता की भूमि का उत्तराधिकारी होता है, जिसमें पत्नी व पुत्रियों को कोई हिस्सा नहीं मिलता है। उनका तर्क है कि मूल खातेदार लाला की मृत्यु सन 1970 में हो चुकी थी और उस समय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू था, लाला के वारिसान अनुसूचित जन जाति के सदस्य थे, जिसमें महिलाओं को खातेदारी प्राप्त नहीं हो सकती थी, इसलिए जमाबंदी में अंकित प्रविष्टियों को आधार मानते हुए किया गया बंटवारा प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों को यह मानना कि अपीलांट को अपने अधिकारों की घोषणा हेतु अलग से घोषणा का वाद प्रस्तुत करना चाहिए, विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि विधिक प्रावधानों के अनुसार अपीलांट को घोषणात्मक आदेश एवं डिक्री हेतु वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, न्यायालय को सुओ–मोटो विधिक प्रावधानों की पालना की जाकर घोषणात्मक निर्णय बंटवारे के दावे में ही निर्णित करने चाहिए थे। इन सभी विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे एवं अपील स्वीकार की जावे।

5– बहस के प्रत्युत्तर में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 का तर्क है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है, जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण बराबर के हिस्सेदार है तथा उसके पक्ष में खोला गया नामान्तरकरण विधिक प्रावधानों के अनुरूप ही खोला गया है। उक्त तथ्य की पुष्टि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी से होती है, जिसमें रेस्पो0 का नाम बतौर सहखातेदार दर्ज है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधि सम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित करते हुए रेस्पो0 संख्या 1 का वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा का विधिनुरूप खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए अपील सारहीन होने से निरस्त की जावे।

7– हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया।

8– विचारण न्यायायल की पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी संवत 1989 से 2009 प्रदर्श पी.1 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त जमाबंदी के कॉलम संख्या 4 में काश्तकार के नाम में मदनलाल वल्द लाला पुत्र, गंगा बेवा लाला, दाखा, शांति पुत्रियां लाला जाति मीणा सा0 देह हिस्सा बराबर अंकित होकर सहखातेदार दर्ज है तथा इसी अनुसार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा रेस्पो0 संख्या 1/वादिया को वादग्रस्त भूमि का 1/4 का हिस्सेदार मानते हुए डिक्री पारित की गई है, जिसमें कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हेाती है। जहां तक अनुसूचित जन जाति की महिला का पैतृक सम्पत्ति में कोई कानूनी हक अधिकार नहीं होने का प्रश्न है, इस संबंध में हम अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के इस तर्क से भी सहमत है कि चूंकि दावा अधिकारों की घोषणा के संबंध में नहीं था, इसलिए अनुसूचित जन जाति की महिला को पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त होगा अथवा नहीं, इस पर कोई विवेचन नहीं किया जा सकता। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह भी बताया कि खातेदारों घोषणा के लिए एक दावा पृथक से दायर किया हुआ है, अतः खातेदारी घोषणा के संबंध में दूसरे दावे में अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है एवं विधिनुसार जहां अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हो, वहां द्वितीय अपील के स्तर पर बिना विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि के हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

11– उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05–6–2002 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शंकर लाल शर्मा)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष